ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत पधरसाहो में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पूजा शर्मा	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री सुनील कुमार	01-04-2021 से 26-08-2021
2.	श्री विनोद कुमार	26-08-2021 से 31-03-2023

ग्राम रोजगार सेवक

क्रम संख्या	ग्राम रोजगार सेवक का नाम	अवधि
1.	श्री नेक राज	01-04-2021 से 31-03-2023

तकनीकी सहायक

क्रम संख्या	तकनीकी सहायक का नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	7.1 - 7.4	पंचायत राजस्व गृहकर, मोबाइल टावर फीस, दुकानों का किराया एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	₹0.66
02.	8.2	बिना M फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय की हानि बारे।	₹1.62
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	₹0.46
04.	8.4	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	₹07
05.	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	₹1.71
06.	9.4	सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि को विहित अवधि में व्यय न करना।	₹0.80

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05-02-2024 से 14-02-2024 तक ग्राम पंचायत पधरसाहो के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	02/2022	02/2022
2.	2022-2023	01/2023	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क **₹**4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग; शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/52 दिनांक 14-02-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत पधरसाहो द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत पधरसाहो के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व-स्त्रोत (3^{RD}/5^{TH} State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	**1168084.5**	**827716**	**1995800.5**	**347137.1**	**1648663.4**
2022-23	**1648663.4**	**689228**	**2337891.4**	**286784.2**	**2051107.2**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	3150705.5	11500510	14651215.5	11724564.1	2926651.4
2022-23	2926651.4	13444510	16371161.4	14019802.19	2351359.21

नोट: उपरोक्त स्वः-स्त्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.2 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्वः-स्त्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) = ₹2051107.2 + ₹2351359.21 = ₹4402466.41

(ख) ग्राम पचांयत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	19910102425	HPS Cop.B.Saho	**1801920.00**
2.	14वां वित्तायोग	19910100684	HPS Cop.B.Saho	**0.00**
3.	SBM	99080100003156	HPGB Saho	**0.00**
4.	VBKY	99080100003165	HPGB Saho	**11.60**
5.	IAY	99081300806724	HPGB Saho	**228.60**
6.	RAY	99088100076107	HPGB Saho	**0.01**
7.	MMGAY	19910100554	HPS Cop.B.Saho	**201003.00**
8.	VKVNY/ MPLAD SDRF/VMJSY	99081300806634	HPGB Saho	**809639.68**
9.	LADA/LADF	19910100184	HPS Cop.B.Saho	**65050.70**
10	JVM	19910100555	HPS Cop.B.Saho	**28589.00**
11	Sabha Nidhi	99088100076113	HPGB Saho	**62774.48**
12.	SF /5th State/ General	17910107030	HPSCB.Chamba	**1607454.72**
			Cash in hand	**503**
			TOTAL	**4577174.79**

अन्तर (ख-क) ₹4577174.79 - ₹4402466.41 = ₹174708.38

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.75 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत पधरसाहो द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹174708.38 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-49 दिनाँक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.2 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 11** के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा स्व:-स्त्रोत में उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधि (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹23.51 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2351359 की राशि (रोकड़वही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-49 दिनांक 13-02-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पधरसाहो के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.36 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत पधरसाहो के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹22220/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	80350	672	25/-	16800	97150	0.00	97150
2022-23	97150	672	25/-	16800	113950	91730	22220

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 14-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का

सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹10225/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि	BPL/Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without late fee	With Late Fee		Without late fee	With Late Fee		
2021-22	30	11@200	8@400	5400	4@25	7@50	450	5850
2022-23	26	03@200	8@400	3800	7@25	8@50	575	4375
कुल योग	56	14@200	16@400	₹9200	11@25	15@50	₹**1025**	₹**10225**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-51 दिनांक 14-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 मोबाइल टावरों की पूर्व अवधि की नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि ₹0.32 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए राशि ₹10000/- आवेदन शुल्क (स्थापना शुल्क) व राशि ₹5000/- वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक निम्न विवरणानुसार सभी मोबाइल टावरों की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹32500/- वसूली हेतु शेष थी।

क्र0 सं0	वर्ष	मोबाइल कम्पनी का नाम	गत शेष (₹)	मांग (₹)	कुल मांग	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
1	2021-22	एयरटेल	27500	5000	32500	0	32500
2	2022-23	एयरटेल	32500	0	32500	0	32500

नोट : मोबाइल टावर फीस की उक्त बकाया राशि हि०प्र० सरकार की अधिसूचना 885 दिनांक 13-05-2022 के पूर्व की है तथा वर्तमान में उक्त अधिसूचना के अनुसार पंचायत की अपनी निजी भूमि पर कोई मोबाइल टावर नहीं है इसलिये मांग शून्य दर्शायी गई है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 19-02-2024 के प्रत्युतर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, बकाया राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः पूर्व अवधि की मोबाइल टावरों की बकाया राशि को शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके सम्बंधित खाते में जमा करवा दिया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹1550 की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है।

ग्राम पंचायत पधरसाहो के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा नौ दुकानों में से पांच दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था, तथा दिनांक 31-03-2023 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹1550/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "6"** में दिया गया है।

वितीय वर्ष	अथशेष (₹)	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष बकाया (₹)
2021-22	6950	05	50/माह	3000	9950	1050	8900
2022-23	8900	05	50/माह	3000	11900	10350	1550

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 14-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.5 पंचायत द्वारा किराये पर अनाधिकृत तौर से आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है। इसके अत्तिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिंनाक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के क़ानूनी विवाद से बचा जा सके।

ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि; पंचायत के पास कुल नौ दुकानें हैं जिनमें से पांच किरायेदारों को आबंटित की गई थी परन्तु इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे और न ही उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना की गई है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान का) का अनुबंध नहीं किया गया है।
2. अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों को तैयार नहीं किया जा रहा है एवं पंचायत के पास उपलब्ध नौ दुकानों में से चार खाली चल रही है इनके आबंटन से सम्बन्धित कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।
3. काफी समय से कोई भी किराया बढ़ोतरी नहीं की गई है एवं किराये का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया है।

4. पंचायत की सम्पत्ति (दुकानों इत्यादि) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

5. पंचायत द्वारा दुकानों का किराया नियमित तौर से नहीं वसूला जा रहा है एवं अंकेक्षण अवधि के अंत तक कुल राशि ₹1550 वसूली हेतु शेष थी।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 50 दिनांक 14-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गंभीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है एवं भविष्य में किसी वैधानिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत पधरसाहो के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹1.62 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों

पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनाधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹162047/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनांक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना का भुगतान भी करना होगा।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/45 दिनांक 12-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती समबन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में M-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.46 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पधरसाहो के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1030896/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि उक्त फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है। लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹45684/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है। (Key Documents Raugh Sheets P-23-28)

उक्त गंभीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 12-02-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि, ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹07 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत पधरसाहो की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्नविवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या/अनुदान	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**टिप्पणी**
1.VKVNY 2021-22	कार्य: चैक डैम तोली नाला	200000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order
2.VKVNY 2022-23	कार्य : पक्का पाथ शमशान घाट कुनैला मोक्षधाम	200000	do
3.ICPS 2022-23	कार्य: मुरमंत व रख-रखाव बाल आश्रम साहो	300000	do
	कुल योग	**₹700000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-36 दिनांक 09-02-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खण्ड में पड़े हुए है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.71 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत पधरसाहो द्वारा राशि ₹171435/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-47 दिनाँक 12-02-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹1.65 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत पधरसाहो के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5"**) राशि ₹164645/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के

दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सकी। (Key Documents Raugh Sheets P-23-30)

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-48 दिनांक 12-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेंगे। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 सामुदायिक भवन साहो के निर्माण हेतु जारी प्रथम क़िस्त की राशि ₹0.80 लाख को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 9 एवं उपायुक्त कार्यालय चम्बा के पत्र संख्या RRO/CBA/Saho/SHEP/2017-3298-3305 दिनांक 21-04-2017 के अंतर्गत LADA निधि में से पंचायत के सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु राशि चार लाख स्वीकृत की गई थी जिसमें से ₹80000 का हस्तांतरण भी पंचायत को किया गया था परन्तु चार वर्ष की अवधि बीतने उपरान्त भी पंचायत द्वारा उक्त कार्य शुरू नहीं किया गया जिससे उक्त राशि का वापिस हस्तांतरण फंडिंग एजेंसी को पंचायत द्वारा दिनांक 28-05-2022 को वापिस कर दिया गया। (Key Documents Raugh Sheets P-29-30) यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है अनुदान राशि का विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-48 दिनांक 12-02-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पधरसाहो के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पधरसाहो के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई **नियन्त्रण** नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में भारी अन्तर बारे।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि; पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है; तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनांक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹1982093.39 का भारी अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹63,84,759.80
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹44,02,666.41
अन्तर	₹19,82,093.39

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 13-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़ बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया

गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत पधरसाहो की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-49 दिनांक 13-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को

अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30/3
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

1701-1705 क्रा0 150

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 140/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30/3
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

क्रा0 150

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position of GP Padharsaho for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1168084.5	827716	1995800.5	347137.1	1648663.4
2022-23	1648663.4	689228	2337891.4	286784.2	2051107.2

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	3150705.5	11500510	14651215.5	11724564.1	2926651.4
2022-23	2926651.4	13444510	16371161.4	14019802.19	2351359.21

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खंड चम्बा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत ग्यारह रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (2051107.20+2351359.21 = 4402466.41)

		4402466.41
		4577174.79
Difference	(Less in cash book)	-174708.38

Checked

Secretary Gram Panchayat Dev. Block Chamba (H.P.)

Income Statement of GP Padhar Saho Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2021 - 2022

Month	OWN SOURCE	SDP	IAY	VKVNY	RAY	SBM	3rd State	14 FC	15 FC	SDRF	LADA/ LDP	VMJSY	MPLADS	MMGAY	JVM	VBKY	MGNREGA	TOTAL
April	1119	0	0	0	0	0	0	1650	299570	0	0	0	0	0		0	451523	**753862**
May	1230	0	0	120000	0	0	45600	0	173801	14898	0	0	0	0		0	965325	**1320854**
June	6634	0	406	70000	114	1718	0	6286	290684	0	108000	0	0	0		365	459188	**943395**
July	1060	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0		0	1195340	**1196690**
August	13006	0	0	0	0	0	98259	0	0	0	0	0	0	0		0	1079757	**1191022**
September	9736	0	409	0	115	1180	0	24269	278490	0	0	0	0	0	411	33	994091	**1308734**
October	500	0	0	81000	0	0	69300	0	0	0	0	0	0	0		0	55013	**205813**
November	1350	0	0	49684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	302395	**353429**
December	7353	0	407	0	114	989	9590	0	0	0	0	38861	0	0		17	43442	**100773**
January	700	0	0	0	0	0	75919	36645	0	0	0	0	8713	0		0	967721	**1089698**
February	**448709**	0	0	101500	0	0	29681	0	0	0	0	0	0	0		0	1629226	**2209116**
March	7680	0	406	120000	114	985	0	344	0	0	0	0	0	200000		17	1325294	**1654840**
Total	**499077**	**0**	**1628**	**542184**	**457**	**4872**	**328639**	**69194**	**1042545**	**14898**	**108000**	**38861**	**8713**	**200000**	**411**	**432**	**9468315**	**12328226**

Expenditure Statement of GP Padhar Saho Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2021 - 2022

Month	OWN SOURCE	SDP	IAY	VKVNY	RAY	SBM	3rd State	14 FC	15 FC	SDRF	LADA/LDP	VMJSY	MPLADS	MMGAY	JVM	VBKY	MGNREGA	TOTAL
April	1458	0	0	41713	0	21008	12100	107748	0	0	0	0	0	0		16926	451523	**652476**
May	4857	0	0	107010	0	0	12100	6694	0	0	0	0	0	0		0	965325	**1095986**
June	11790	0	0	48952	0	3000	12100	108988	0	0	50519	0	0	0		33912	459188	**728449**
July	440	0	0	0	0	84930	12100	58150	0	14898	44510	0	0	0		0	1195340	**1410368**
August	2250	0	0	0	0	0	80929	13860	0	0	0	0	0	0		0	1079757	**1176796**
September	3939.4	0	0	0	0	0	28640	0	0	0	35.4	0	0	0		0	994091	**1026705.8**
October	2799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	55013	**57812**
November	8568	0	0	41420	0	0	45700	126220	0	0	0	0	0	0		0	302395	**524303**
December	1752	0	0	49669	0	0	12700	17890	0	0	0	0	0	0		0	43442	**125453**
January	1490	0	0	0	0	0	12700	170187	0	0	0	39480	0	0		0	967721	**1191578**
February	**8307**	**0**	**0**	**59400**	**0**	**0**	**12700**	638452	64532	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1629226**	**2412617**
March	1017.7	0	0	4009	0	0	56700	212895	69224	0	17.7	0	0	0		0	1325294	**1669157.4**
Total	**48668.1**	**0**	**0**	**352173**	**0**	**108938**	**298469**	1461084	133756	**14898**	**95082.1**	**39480**	**0**	**0**		50838	9468315	12071701.2

Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "1" पृष्ठ संख्या 9 में सत्यापित

Income Statement of GP Padhar Saho Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2022-23

Month	OWN SOURCE	SDP	IAY	VKVNY	RAY	SBM	3rd State	14 FC	15 FC	SDRF	LADA /LDP	VMJSY	MPLADS	MMGAY	JVM	VBKY	MGNREGA	TOTAL
April	18021	0	0	0	0	49000	69300	25369	24113	0	2108	0	0	0	415	0	0	188326
May	515	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0		0	2948373	3148888
June	8152	0	399	0	112	0	0	0	173801	0	0	0	0	0		16	170748	353228
July	255	0	0	0	0	0	83200	0	0	0	0	0	0	0		0	1382950	1466405
August	1554	0	0	0	0	0	26747	0	186072	0	0	0	0	0		0	93978	308351
September	27775	0	386	0	108	0	0	0	119425	0	2137	0	0	1003	424	16	673372	824646
October	50	174950	0	36160	0	0	30840	0	260701	0	0	0	0	0		0	412085	914786
November	1760	0	0	0	0	28993	0	0	0	0	0	0	0	0		0	892824	923577
December	8185	0	321	0	90	0	0	0	279108	0	0	0	0	0		11	474564	762279
January	**61125**	26735	0	0	0	0	159981	0	0	0	0	0	0	0		0	1096698	1344539
February	18358	0	0	138600	0	0	118526	0	0	0	0	0	0	0		0	401313	676797
March	32145	0	2	0	0	0	22739	0	475265	0	0	0	0	0		0	2691765	3221916
Total	**177895**	**201685**	**1108**	**174760**	**310**	**77993**	**511333**	**25369**	**1718485**	**0**	**4245**	**0**	**0**	**1003**	**839**	**43**	**11238670**	**14133738**

Expenditure Statement of GP Padhar Saho Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2022-23

Month	OWN SOURCE	SDP	IAY	VKVNY	RAY	SBM	3rd State	14 FC	15 FC	SDRF	LADA/ LDP	VMJSY	MPLADS	MMGAY	JVM	VBKY	MGNREGA	TOTAL
April	0	0	0	0	0	39920	12700	440835	439323	0	0	0	0	0		0	0	932778
May	**3967**	**0**	**0**	**135156**	**0**	**85860**	**14500**	**0**	**141323**	**0**	**80000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2948373**	**3409179**
June	5319	0	0	79256	0	0	15340	0	28000	0	17.7	0	0	0		0	170748	298680.7
July	0	0	0	16500	0	0	61600	0	0	0	0	0	0	0		0	1382950	1461050
August	17859	0	0	0	0	17318	14500	0	51984	0	0	0	0	0		0	93978	195639
September	2019	0	0	0	0	0	14500	0	189265	0	17.7	0	0	0		0	673372	879173.7
October	0	159313	0	0	0	0	14500	0	121163	0	0	0	0	0		0	412085	707061
November	0	0	56052	36818	15717	14530	14500	0	54300	0	0	0	0	0		2292	892824	1087033
December	0	11172	0	0	0	44563	49856	0	159726	0	17.7	0	0	0		0	474564	739898.7
January	640	0	0	0	0	0	0	0	38465	0	0	0	0	0		0	1096698	1135803
February	0	30364	94.4	0	89.99	121	23126	0	128824	0	0	0	0	0		0	401313	583932.39
March	970.2	0	0	102900	0	0	20888	0	59817	0	17.7	0	0	0		0	2691765	2876357.9
Total	**30774.2**	**200849**	**56146.4**	**370630**	**15807**	**202312**	**256010**	**440835**	**1412190**	**0**	**80070.8**	**0**	**0**	**0**		**2292**	**11238670**	**14306586.39**

(H.P.)

23

24

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Padharsaho for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0	9468315	9468315	9468315	0
		2022-23	0	11238670	11238670	11238670	0
2	15TH FC	2021-22	586856	1042545	1629401	133756	1495645
		2022-23	1495645	1718485	3214130	1412190	1801940
3	14TH FC	2021-22	1824871	69194	1894065	1461084	432981
		2022-23	432981	25369	458350	440835	17515
4	SBM	2021-22	414558.4	4872	419430.4	108938	310492.4
		2022-23	310492.4	77993	388485.4	202312	186173.4
5	VBKY	2021-22	52666.6	432	53098.6	50838	2260.6
		2022-23	2260.6	43	2303.6	2292	11.6
6	RAY	2021-22	15040.1	457	15497.1	0	15497.1
		2022-23	15497.1	310	15807.1	15806.99	0.11
7	SDP	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	201685	201685	200849	836
8	MMGAY	2021-22	0	200000	200000	0	200000
		2022-23	200000	1003	201003	0	201003
9	VKVNY/SDRF/ MPLAD/VMJSY	2021-22	73119	604656	677775	406551	271224
		2022-23	271224	174760	445984	370630	75354
10	IAY	2021-22	53639	1628	55267	0	55267
		2022-23	55267	1108	56375	56146.4	228.6
11	LADA/LDP	2021-22	102616.4	108000	210616.4	95082.1	115534.3
		2022-23	115534.3	4245	119779.3	80070.8	39708.5
12	JVM	2021-22	27339	411	27750	0	27750
		2022-23	27750	839	28589	0	28589

Checked

परिशिष्ट – "3"

ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 04-06-21	Refreshment	-	M/S Akshu Sweet Shop VPO Saho, Chamba	6790	**Quotations**
2.14th FC	54/ 19-01-22	Computer & Printer Repair	-	M/S Computer Solution Sultanpur, Chamba	34245	**Quotations**
3.14th FC	91/ 30-03-22	LCD With Dish	01@19000	M/S Thakur Electronics	19000	**Quotations**
4.15TH FC	03/ 20-02-22	Carriage by mule	-	M/S Pawan Kumar Village Chol PO Saho, Chamba	12600	**Quotations**
5.15th FC	24 & 25/ 06-05-22	Dustbin	260@380	M/S Vijay Hardware Store Saho, Chamba	98800	**Tender**
				Total	**171435**	

ग्राम पंचायत पधर साहो
वि0 ख0 चम्बा, जिला चा

Secretary
Gram Panchayat
Block Chamba (H.P.)

26

पारिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 में सम्मिलित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP PADHRSAHO FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE EXTRA PAYMENT OF GST

	01-04-2021 TO 31-03-2023										
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	EXCESS PAID GST
1	M/S Veer Singh	VKVNY	35,	Stone	45.24	101.3376	35694	60	6080.256	33994.2857	1699.7143
	VPO Sahoo, Chamba		16-12-21					60	0	0	0
2	M/S Umesh Mahajan	VKVNY	07 to 11	Aggre.	22.65	43.941	31080	60	2636.46	29600	1480
	VPO Saho, Chamba		25-05-22	Bill Date	04-07-21			60	0	0	0
3	M/S Liyakat Ali	VKVNY	09,	Sand	22.65	36.24	22595	60	2174.4	21519.0476	1075.9524
	VPO Saho, Chamba		25-05-22	Bill Date	20-02-20			60	0	0	0
4	M/S Veer Singh	VKVNY	10 & 11	Stone	72	161.28	60480	60	9676.8	57600	2880
	VPO Sahoo, Chamba		25-05-22	Bill Date	11-07-20			60	0	0	0
5	M/S Shivanshu Mahajan	14TH FC	67,	Sand	7.64	12.224	8477	60	733.44	8073.33333	403.66667
	VPO Saho, Chamba		09-02-22	Aggre.	14.16	20.6736	21788	60	1240.416	20750.4762	1037.5238
				Bill Date	09-08-20			60	0	0	0
6	M/S Shivanshu Mahajan	14TH FC	101 & 102	Sand	0.55	0.88	6260	60	52.8	5961.90476	298.09524
	VPO Saho, Chamba		08-04-22	Aggre.	10.89	15.8994	16765	60	953.964	15966.6667	798.33333
				Bill Date	27-01-20			60	0	0	0
7	M/S Veer Singh	MGREGA	09,	Stone	44	98.56	34716	60	5913.6	33062.8571	1653.1429
	VPO Sahoo, Chamba		19-05-22					60	0	0	0
8	M/S Som Dutt Vijay	MGREGA	10,	Aggre.	12.88	24.9872	20020	60	1499.232	19066.6667	953.33333
	Kumar VPO Saho, Chamba		19-05-22					60	0	0	0
9	M/S Shivanshu Mahajan	MGREGA	06 to 08	River Sand	67.42	107.872	31001	60	6472.32	0	0
	VPO Saho, Chamba		06-05-22	Course Sand	28.29	45.264	30533	60	2715.84	0	0
10	M/S Veer Singh	MGREGA	33 to 51	Stone	856.5	1918.56	656713	60	115113.6	625440.952	31272.048
	VPO Sahoo, Chamba		25-05-22					60	0	0	0
11	M/S Shivanshu Mahajan	MGREGA	105 & 106	River Sand	31.1	49.76	28600	60	2985.6	27238.0952	1361.9048
	VPO Saho, Chamba		25-05-22	River Sand	10.87	17.392	10000	60	1043.52	0	0
12	M/S Veer Singh	MGREGA	107,	Stone	20.5	45.92	16174	60	2755.2	15403.8095	770.19048
	VPO Sahoo, Chamba		25-05-22					60	0	0	0
				Total			1030896		162047	913678.1	45683.9
	If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022										

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.6
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix 1.94
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.46
   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

परिशिष्ट – "5"

ग्राम पंचायत पधरसाहो, विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश_संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने बारे (पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14th FC	54/ 19-01-22	Computer & Printer Repair	-	M/S Computer Solution Sultanpur, Chamba	34245	Joint. Sign
2.14th FC	91/ 30-03-22	LCD With Dish	01@19000	M/S Thakur Electronics	19000	Joint. Sign
3.15TH FC	03/ 20-02-22	Carriage by mule	-	M/S Pawan Kumar Village Chol PO Saho, Chamba	12600	Joint. Sign
4.15th FC	24 & 25/ 06-05-22	Dustbin	260@380	M/S Vijay Hardware Store Saho, Chamba	98800	Joint. Sign
				Total	**164645**	

Pooja Sharma
...ान
ग्राम पंचायत पधर साहो
वि० ख० चम्बा, जिला च...

...am Panchayat
... Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 7.1 से 7.4 से सम्बन्धित

)1) सम्म्पति कर----------:

वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशी	बकाया राशी
2021-22	80350.00	672	25/-	16800.00	97150.00	0.00	97150.00
2022-23	97150.00	672	25/-	16800.00	113950.00	91730.00	22220.00

(2) पंचायत दुकाने -------: (2021-22)

क्रमांक	दूकान दार का नाम व् पता	दूकान संख्या	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष 2021-22 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशी	शेष बकाया राशी
1	श्री जर्म सिंह	1	50.00	250.00	600.00	850.00	450.00	400.00
2	श्री प्रकाश चन्द	2	50.00	2400.00	600.00	3000.00	0.00	3000.00
3	श्री बुधी प्रकाश	3	50.00	200.00	600.00	800.00	0.00	800.00
4	श्री देवी दयाल	4	50.00	100.00	600.00	700.00	600.00	100.00
5	श्री प्यार चन्द	5	50.00	4000.00	600.00	4600.00	0.00	4600.00
6	Vacant	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Vacant	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vacant	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Vacant	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग		6950.00	3000.00	9950.00	1050.00	8900.00

पंचायत दुकाने ----------: (2022-23)

क्रमांक	दूकान दार का नाम व् पता	दूकान संख्या	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष 2022-23 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशी	शेष बकाया राशी
1	श्री जर्म सिंह	1	50.00	400.00	600.00	1000.00	1050.00	-50.00
2	श्री प्रकाश चन्द	2	50.00	3000.00	600.00	3600.00	3500.00	100.00
3	श्री बुधी प्रकाश	3	50.00	800.00	600.00	1400.00	0.00	1400.00
4	श्री देवी दयाल	4	50.00	100.00	600.00	700.00	700.00	0.00
5	श्री प्यार चन्द	5	50.00	4600.00	600.00	5200.00	5100.00	100.00
6	Vacant	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Vacant	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vacant	8	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Vacant	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग		8900.00	3000.00	11900.00	10350.00	1550.00

नोट : चार खाली (vacant) दुकानों को मई 2023 में 200 प्रति माह की दर से आवंटित किया जा चुका है।

Pooja Sharma